रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18, 1987 (आषाढ़ 27, 1909)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 1987 (ASADHA 27, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . . .	539
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	829
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	989
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	6613
भाग III—खण्ड 2—पेटेण्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेण्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	791
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 1—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2773
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	99
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक .	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

1—151 GI/87

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	539
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	829
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	989
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6613
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	791
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2773
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ..	99
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 1987

आदेश

विषय :—तमिलनाडु अपतट में ब्लाक सं० सी० ओ० एस० में 3600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ०—12012/1/87—ओ० एन० जी० डी—4—ओ० एन० जी० डी०—IV—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसे इसके आगे आयोग कहा जायेगा) को तमिलनाडु अपतट में ब्लाक सं० सी० ओ० एस० में 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1—8—87 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है जिसका विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 192 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी।

(घ) अयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 28,800/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाइसेंस की चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5. लाइसेंस की नवीनकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रुपये

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम II के उपनियम (3) और आवश्यकता अनुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रा सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अंतर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भू-वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रुप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रुप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्ययधन तथा अन्वेषण कार्यों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना की आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो कि अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी अपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथीमीट्रीक मतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौ सेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिये।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को फलैग आफिसर कमांडिग-इन-चीफ, इस्टर्न नैवल कमांड, विशाखापत्तनम को कृष्णा-गोदावरी थाला (अपतट) ब्लाक I-सी० और I-डी० क्षेत्रों में आरम्भ की जा रही अपतटीय गतिविधियों अर्थात् अपतटीय रिगों के लाने और ले जाने के संबंधों में सूचित करना चाहिये।

(ढ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

(त) अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिये जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके।

(थ) भावी संचलानात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने समाप्त करने की तिथि बतायी जाए।

अनुसूची "क"

(1) तमिलनाडु अपतटीय क्षेत्र के ब्लाक सी-ओ एस-IV में 3600 किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रो अन्वेषण लाइसेंस।

(2) सीमावर्ती पाइंटों के भूगौलिक : निर्देशांक	पाइंट ए : 11° 40″ 00″ एन 80° 20″ 00″ ई पाइंट बी : 11° 40″ 00″ एन० 79° 46″ 17″ ई पाइंट सी० । 11° 05″ 00″ एन 79° 51″ 17″ ई पाइंट डी : 11° 05″ 00″ एन 80° 20″ 00″ ई
(3) भूमि पर तीन महत्वपूर्ण स्थानों से दूरतम (पाइंट क) लगभग दूरी	चिदम्बरम् —76 कि० मी० केविकल —100 कि० मी० नागापतिनम —114 कि० मी०
(4) क्षेत्र में उपरिवर्ती जल की लगभग गहराई	0.300 मीटर
(5) अन्वेषी खुदाई आरम्भ करने की संभाव्य तिथि	—01—08—1987
(6) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और विदेशी राज्य की सीमा से संरचना (पी० ई० एल० के० अन्तर्गत क्षेत्र) की लगभग दूरी	पी० ई० एल० क्षेत्र का दक्षिण भाग भारत के 80 किलोमीटर के अन्दर आता है श्रीलंका समुद्री सीमा।
(7) खुदाई अन्वेषी गतिविधियों के दौरान कार्य में लगाई गई विदेशी कर्म विदेशी कार्मिक।	इन क्षेत्रों में विदेशियों को काम में लगाने की अब कोई योजना नहीं है।

अनुसूची ख

अशोधित तेल, कैसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर
माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये ली० की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त कि० ली० की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—कैसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल किलो लीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए किलो लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री----------सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

भारत के राष्ट्रपति के नाम तथा उनके आदेश पर ।

हस्ताक्षर----------

दिनांक 25 जून 1987

आदेश

विषय :—तेल एवं प्राकृतिक गैस का तमिलनाडु अपतट में ब्लाक सं० सी०-ओ० एस०-1-डी में में 4215 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसों की स्वीकृति ।

सं० ओ-12012/4/87-ओ० एन० जी० डी०-4 ओ० पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (जिसे इसके आगे आयोग कहा जायेगा) तमिलनाडु अपतट में ब्लाक सं० सी० ओ० एस-I डी० में 4215 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1-8-87 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है । जिसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(i) समस्त आशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 192/- रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह मे प्राप्त समस्त आशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 33720/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०

5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रुपये ।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थ के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि होने के बारे में निर्धारित किया जाएगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये वाथी मीट्रिक सतही नमूने धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप मे रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहियें ।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्रीविज्ञान आकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं ।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मंत्रालय मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

(त) अगर विदेशी जल पोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिसमे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके ।

(थ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, इस्टर्न नैवल कमांड, विशाखापत्तनम को कृष्णा-गोदावरी थाला (अपतट) ब्लाक 1-सी और 1-डी क्षेत्रों में आरम्भ की जा रही अपतटीय गतिविधियां अर्थात् अपतटीय रिगो के लाने और ले जाने के सम्बन्ध में सूचित करना चाहिए ।

अनुसूची क

तामिलनाडु अपतट में ब्लाक सी ओ एस–1डी में 4215 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पी० ई० एल।

(1) सीमावर्ती पाइंटों के भूगौलिक निर्देशांक :

पाइंट	अक्षांश	रेखांश
पाइंट ए:	9° 09″ 52″ एन	79° 25″ 41″ ई
ओ।	9° 11″ 21″ एन	78° 43″ 38″ ई
आर :	8° 23″ 14″ एन	78° 43″ 38″ ई
जो :	9° 00″ 00″ एन	79° 20″ 00″ ई

(2) भूमि और तीन महत्वपूर्ण स्थानों से दूरतम (पाइंट आर) लगभग दूरी

टूटीकोरिन	–78 कि० मी०
रामनाथापुरम	–110 कि० मी०
रामेश्वरम	–118 कि० मी०

(3) क्षेत्र में सपरिवर्ती जल की लगभग गहराई : 0.900 मीटर.

(4) अन्वेषी खुदाई आरम्भ करने की संभाव्य तिथि : 1–8–1987

(5) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (पी०ई०एल० के अन्तर्गत क्षेत्र) की लगभग दूरी : पी० ई० एल० क्षेत्र का दक्षिणी भाग और विदेशी राज्य भारत के 80 किलोमीटर के अन्दर की सीमा से संरचना आता है–श्रीलंका समुद्री सीमा ।

(6) खुदाई/अन्वेषी गतिविधियों के दौरान कार्य में लगाई गई विदेशी फर्मे/विदेशी कार्मिक : इन क्षेत्रों में विदेशियों को काम में लगाने की अब कोई योजना नहीं है ।

अनुसूची ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

क—प्रशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये कि० ली० की सं०	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये ली० की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त कि० ली० की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल कि० ली० की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये कि० ली० की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये कि० ली० की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त कि० ली० की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री———————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर———————————

पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 1987

संकल्प

सं० 19/115/86-आई० पी० एण्ड एम० सी०—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 19/115/86-आई० पी० एण्ड एम० सी०, दिनांक 1 मई, 1987, जिसके द्वारा इलैक्ट्रानिक माध्यम के संगत और उसमें प्रयोग के लिए नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए फोरवर्ड लुकिंग ग्रुप का गठन किया गया था, के पैरा 2 में निम्नलिखित परिवर्धन/प्रतिस्थापन किए जाएं—

(1) उप-पैरा 13 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा —

14. प्रोफेसर पी० के० चटर्जी, सदस्य
अध्यक्ष, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी विभाग,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
कानपुर ।

15. श्री शिव एस० शर्मा, सदस्य
अपर महानिदेशक,
दूरदर्शन,
दूरदर्शन भवन (मण्डी हाऊस),
नई दिल्ली ।

16. अपर महानिदेशक, सदस्य
आकाशवाणी,
नई दिल्ली ।

(2) मौजूदा प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

(क) मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर अर्थात् :—

9. श्रीमती मंजु सिंह, नेटवर्क-7,
एल-16, कैलाश कालोनी,
नई दिल्ली-110048

(ख) निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्

9. सुश्री मंजु सिंह,
नेटवर्क-7,
8, कलेवर भवन,
5, दादी सेठ रोड,
आफ बाबुल नाथ मार्ग,
बम्बई-400007

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति फोरवर्ड लुकिंग ग्रुप के अध्यक्ष/सदस्यों, प्रधानमंत्री के कार्यालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए

के० एस० बैदवान, संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1987

संकल्प

सं० पी०-3-1(5)/86 भारत सरकार कुछ समय से एक कार्य दल के गठन पर विचार कर रही थी जो सरकारी खरीद के संबंध में एक अलग कानून के सामान्य ढांचे और उसके उद्देश्य पर विचार करके अपने सुझाव दे सके । सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री प्रकाश नारायण की अध्यक्षता में कार्य दल गठित करने का निर्णय लिया है

2. इस कार्य दल में निम्न व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष : श्री प्रकाश नारायण, अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय

सदस्य : श्री वेप्पा पी० सारथी, भूतपूर्व सदस्य, विधि आयोग

श्री यू० एम० देशमुख, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय

विधि मंत्रालय के सहयोजित सदस्य : श्री ए० सी० सी० उन्नी, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

सदस्य सचिव श्री आर० पी० सिंघल, अपर महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

यह कार्यदल जब कभी आवश्यक हुआ तब अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को भी सहयोजित कर सकता है। यह कार्य दल किसी भी व्यक्ति को चर्चा/परामर्श /सहयोग के लिए आमंत्रित भी कर सकता है ।

3. इस कार्य दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) केन्द्रीय क्रय संगठन अर्थात् पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा ठेके देने और ठेकों के निष्पादन में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करना ।

(2) यह जांच करना कि क्या इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत वर्तमान व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं :—

(3) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसे कानून या अन्य उपायों का सुझाव देना जो इस सम्बन्ध में आवश्यक हो ।

4. इस कार्यदल के गैर सरकारी सदस्य कार्य दल की बैठकों में भाग लेने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे । यह सुविधा सहयोजित सदस्यों को और उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होंगी जो कार्य दल द्वारा चर्चा/ परामर्श/सहयोग के लिए बैठकों में आमंत्रित किए जाएंगे ।

5. इस कार्य दल का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

6. इस कार्य दल की बैठकें जब कभी जरूरी होगा, अक्सर हुआ करेंगी और यह कार्य दल तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगा ।

7. इस कार्य दल का व्यय पूर्ति विभाग के लिए स्वीकृत बजट अनुदान के "वेतन और अन्य परिव्यय" नामक शीर्ष से किया जाएगा ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी को, जो इससे संबंधित हैं, भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्व साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर० सी० कपिला, अपर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 12th June 1987

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for Block No. C-OS-IV area measuring 3600 sq. kms. in Tamil Nadu offshore.

No. O-12012/1/87-ONGD4( ).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 1-8-87 for Block No. C.OS-IV area measuring 3600 sq. kms. in Tamil Nadu offshore the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 28,800/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months

the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples. Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The entire data is processed in India.

(n) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost* to Ministry of Defence/Chief Hydro.

(o) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) ONGC should inform the Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, Vishakhapatnam about the offshore activities being undertaken in Krishna Godavari Basin (offshore) Block 1-C & 1-D areas i.e., the arrival & departure of offshore rigs.

(q) ONGC ensures security of oceanographic data.

SCHEDULE-A

(1) PEL for Block No. C-OS-IV of Tamil Nadu offshore area measuring 3600 sq. kms.

(2) Geographical co-ordinates of boundary points
Point A : 110° 40′ 00″ N—80° 20′ 00″ E
Point B : 110° 40′ 00″ N—79° 46′ 17″ E.
Point C : 110° 05′ 00″ N—79° 51′ 39″ E
Point D : 110° 05′ 00″ N—80° 20′ 00″ E

(3) Approximate distance farthest (Point A) from three prominent places on land. : Chidambaram—76 km.
Karaikal—100 km.
Nagapattinam—11 km.

(4) Approximate depth of superjacent wateer in the area : 0-300 Mts.

(5) Likely date of commencement of Exploratory drilling : 01-08-1987.

(6) Approximate distance of the structure (area under PEL) from the international boundary ad border of the foreign state. : The Southern part of the PEL area falls within 80 km of India —Sri Lanka sea boundary.

(7) Name of the foreign firm/foreigners deployed during drilling/expolaration activities. : There is no plan now to deploy any foreigners in these areas.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing Head Condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri _____ do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

_____

(Signature)

By order in the name of the President of India.

The 25th June 1987

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for Block No. C.OS-1.1 area measuring 4215 sq. kms. in Tamil Nadu offshore to ONGC.

No. O-12012/4/87-ONGD4( ).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 1-8-87 for Block No. C.OS-1d area measuring 4215 sq. kms. in Tamil Nadu offshore the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of licence in subject to the terms and conditions mentioned below :

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 33,720/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples. Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) ONGC ensures security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost* to Ministry of Defence Chief Hydro.

(p) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to Commencement of Survey Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(q) ONGC should inform the Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, Vishakhapatnam about the offshore activities being undertaken in Krishna Godavari Basin (offshore) Block 1-C & 1-D areas i.e., the arrival & departure of offshore rigs.

By order in the name of the President of India.

Schedule 'A'

PEL for Block No. C.OS-1d area measuring 4215 sq. kms. of Tamil Nadu off shore.

(1) Geographical co-ordinates of boundry points.

Point	LAT.	LONG.
A	9° 09′ 52″ N	79° 25′ 41″ E
O	9° 11′ 21″ N	78° 43′ 38″ E
R	8° 23′ 14″ N	78° 43′ 38″ E
G	9° 00′ 00″ N	79° 20′ 00″ E

(2) Approximate distance farthest point (Point R) from 3 prominent places on land. : Tuticorin—78 km.
Ramanathapuram—110 km.
Rameshwaram—118 km.

(3) Approximate depth of Superjacent water in th earea : 0—900 Mts.

(4) Likely date of commencement of exploratory drilling : 1-8-1987

(5) Approximate distance of the structure (area under PEL) from the international boundry and border of the foreign State. : The Southern part of the block is within 80 km. of the India-Sri Lanka sea boundry

(6) Name of the foreign firm/Foreigners deployed during drilling/exploration activities. : There is no plan now to deploy any foreigners in this area.

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri———————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order in the name of the President of India.

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 19th June 1987

RESOLUTION

No. 19/115/86-IP&MC.—In this Ministry's Resolution No. 19/115/86-IP&MC dated 1st May, 1987 constituting a Forward Looking Group for the purpose of identification of new technologies of relevance and application to the electronic media, the following additions/substitutions be made in para 2 :

(i) After sub-para (13) the following shall be added

Members

(14) Prof. P. K. Chatterjee,
Head, Dept. of Electrical Engineering,
Indian Institute of Technology,
Kanpur.

(15) Shri Shiv S. Sharma,
Addl. Director General,
Doordarshan,
Doordarshan Bhavan (Mandi House),
New Delhi.

(16) Additional Director General,
All India Radio,
New Delhi.

(ii) The following substitution in the existing entry be made :—

(a) For the existing entry viz :—

(9) Ms. Manju Singh,
NETWORK 7,
L-16, Kailash Colony,
New Delhi-110048.

(b) The following shall be substituted viz :—

(9) Ms. Manju Singh,
NETWORK 7,
8, Kalewar Building,
5, Dadi Sheth Road,
Off Babul Nath Marg,
Bombay-400 007.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman/Members of the Forward Looking Group, Prime Minister's Office, All Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. S. BAIDWAN
Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF SUPPLY

New Delhi-110011, the 11th June 1987

RESOLUTION

No. PIII-1(5)/86.—The Government of India have had under consideration for same time the question of setting up a Working Group for considering and recommending the general framework and objects of a separate legislation for public buying. The Government have decided to set up the Working Group under the Chairmanship of Shri Prakash Narain, retired Chief Justice, Delhi High Court.

2. The Committee shall consist of :—

Chairman

— Shri Prakash Narain,
Retired Chief Justice,
Delhi High Court.

Members

— Shri Vepa P Sarathi,
former Member,
Law Commission.

— Shri U. M. Deshmukh,
Law Faculty,
Delhi University.

Co-opted member of Law Ministry

— Shri A. C. C. Unni,
Joint Secretary and Legislative Counsel.

Member Secretary

— Shri R. P. Singhal,
Additional Director General (S&D).

The Working Group may co-opt other members whenever necessary.

The Committee may invite persons for discussion/advice/assistance.

3. The terms of reference of the Working Group will be as follows :—

(i) To consider the difficulties experienced by the Central Purchase Organisation, i.e. the Directorate General of Supplies & Disposals in contracting and performance of contracts.

(ii) to examine whether the existing provisions under the various laws are adequate to meet these difficulties.

(iii) to recommend such legislative or other measures as considered necessary in this behalf.

4. Non-official members of the Working Group, including those Coopted and persons called by the Working Group for Discussion/advice/assistance will be entitled to grant of T.A. and D.A. for attending the meetings of the Working Group in accordance with the orders issued by the Ministry of Finance from time to time.

5. The Headquarter of the Working Group shall be at New Delhi.

6. The Working Group will meet as often as necessary and shall give its report to the Government within three months.

7. The expenditure incurred shall be met from the sanctioned budget grant under the Head "Salaries and other Expenses" of the Deptt. of Supply.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. KAPILA
Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, 1987